

राजस्थान सरकार  
उद्योग (ग्रुप-2) विभाग  
\*\*\*\*\*

क्रमांक प. 15 (9) उद्योग/2/1994

जयपुर, दिनांक 28 NOV 2016

: आज्ञा :

राजस्थान उद्योग सेवा के निम्नांकित अधिकारियों को अधिवाषिकी आयु पूर्ण कर लेने पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 5 में अंकित जन्मतिथि के आधार पर कॉलम संख्या 6 में अंकित दिनांक को अपराह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.स.	नाम अधिकारी	पद	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	श्री देवेश कुमार शर्मा,	सहायक निदेशक	जि.उ.केन्द्र, जयपुर (ग्रामीण)	15.03.1957	31.03.2017
2.	श्री पूरनचन्द्र	सहायक निदेशक	जि.उ.केन्द्र, बाड़मेर	02.04.1957	30.04.2017
3.	श्री गजराज सिंह	सहायक निदेशक	जि.उ.केन्द्र, भरतपुर	03.05.1957	31.05.2017
4.	श्री महेश कुमार बिस्सा	सहायक निदेशक	जि.उ.केन्द्र, हनुमानगढ़	05.05.1957	31.05.2017
5.	श्री गिरजा शंकर त्रिवेदी	संयुक्त निदेशक	जि.उ.केन्द्र, सिराही	05.06.1957	30.06.2017.
6.	श्री शिवराज शर्मा,	उप निदेशक	जि.उ.केन्द्र, राजसमन्द	01.07.1957	30.06.2017
7.	श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता	सहायक निदेशक	जि.उ.केन्द्र, डूंगरपुर	23.06.1957	30.06.2017
8.	श्री भगवत शरण गुप्ता	सहायक निदेशक	जि.उ.केन्द्र, कोटा	01.07.1957	30.06.2017
9.	श्री घनश्याम गुप्ता	सहायक निदेशक	जि.उ.केन्द्र, बाड़मेर	18.07.1957	31.07.2017
10.	श्री मुरली मनोहर पारीक	सहायक निदेशक	जि.उ.केन्द्र, बारां	29.07.1957	31.07.2017
11.	श्री सोहनलाल नाथ योगी	सहायक निदेशक	जि.उ.केन्द्र, सीकर	05.12.1957	31.12.2017

कार्मिक (क-3) विभाग के अनुसार क्रम संख्या 4 पर अंकित श्री महेश कुमार बिस्सा, तत्कालीन जिला उद्योग अधिकारी, बीकानेर के विरुद्ध CBI प्रकरण संख्या RCJ DH 2010 A003 में अभियोजन स्वीकृति का मनाही का निर्णय लिया गया है। क्रम संख्या 5 पर अंकित श्री गिरजा शंकर त्रिवेदी, संयुक्त निदेशक के विरुद्ध FIR 152/97, 151/97/150/97, 153/97 व 154/97 में अभियोजन स्वीकृति जारी की गई। दोषमुक्त होने के पश्चात् बहाल कर नियमित किया गया। दोषमुक्ति के विरुद्ध उच्च न्यायालय में रिविजन पेश हुई है।

उपरोक्त अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य अधिकारियों के संबंध में वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.15 के अनुसार यह भी प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

उपरोक्त सभी अधिकारी अपने पद पर नियमित नियुक्ति के अन्तर्गत कार्यरत हैं। इनकी नियुक्ति किसी अवकाश संचित रिक्ती के विरुद्ध नहीं है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(शुचि शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।।
3. जिला कलक्टर, बाड़मेर, भरतपुर, हनुमानगढ़, सिराही, राजसमन्द, डूंगरपुर, कोटा, बारां, सीकर, जयपुर।
4. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. उप निदेशक, राज्य बीमा प्रावधानी निधि विभाग, सचिवालय, जयपुर।
7. कोषाधिकारी, बाड़मेर, भरतपुर, हनुमानगढ़, सिराही, राजसमन्द, डूंगरपुर, कोटा, बारां, सीकर, जयपुर।
8. महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, संबंधित।
9. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1/एसीआर सेल) विभाग।
10. संबंधित अधिकारीगण
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव